

27.5.23

उमय पक्ष अठुण

उमय पक्ष के कार्या
दिनांक 13/4/23 को हुलहनामा
कारियल किया गया। हुलहनामा
के आचार बाद की का पवार्ड
समाप्त की जाती है हुलहनामा
इस अंश आदेश का अंश होगा।

20/4.



न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर - सरिया

वाद सं० - 39/23

धारा - 144 द० प्र० संहिता

सुकरी देवी प्रथम पक्ष

बनाम

अर्जुन महतो द्वितीय पक्ष

उभय पक्षों के बीच
संयुक्त सुहलनामा।

परम सम्मान पूर्वक कहना है कि -

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा मौजा चितरना, थाना बिरनी, जिला गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं० 11, प्लॉट नं० 530, रकवा 10 डी० चौहदी 30 - ईसर महतो, द० - बसन महतो, पु० ईसर महतो का घर, पं० - पक्की सडक पर वाद लाये थें। जिसमें उभय पक्षों के बीच ग्रामीणों के समक्ष संयुक्त सुलहनामा हो चुका है।
2. यह कि उभय पक्ष संयुक्त सुहलनामा के आधार पर अपने - अपने हक हिस्सा पर कायम काबिज होकर चले आ रहे है अभी वर्तमान में उभय पक्षों के बीच जमीन विवाद नहीं है।

अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि संयुक्त सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त कर दिया जाय जिसमें उभय पक्षों को कोई आपति नहीं होगा।

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर



नि. सुकरी देवी
Identified by me
Shamshad Deyal
13/04/2023

Arjun prasad Verma

Identified by me
M. K. Singh
13/04/23